

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-25/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० धर्मेन्द्र कुमार चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता, खगड़िया के द्वारा उपभोगित अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2082(25) दिनांक-26.12.2024 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

(i)	दिनांक-27.04.2023 से 04.05.2023 तक	-	कुल-8 (आठ) दिनों को उपार्जित अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक-09.05.2023 से 25.06.2023 तक	-	कुल-48 (अड़तालीस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
(iii)	दिनांक-22.08.2023 से 27.08.2023 तक	-	कुल-06 (छह) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-25/2024-

633(2)

पटना, दिनांक 22/4/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता, खगड़िया/कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया/ डा० धर्मेन्द्र कुमार चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता, खगड़िया को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

६